बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ..../पटना, दिनांक– ....
06/पणन(स0)–79/2021 (पार्ट फाईल)

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रू0 1,14,30,561/– (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँ सौ एकसठ) रूपये की दर से कुल रू0 29,71,94,586/– (उन्नतीस करोड इक्हत्तर लाख चौरानवे हजार पाँच सौ छियासी) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रू0 1,14,30,561/– (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँ सौ एकसठ) रूपये की दर से कुल रू0 29,71,94,586/– (उन्नतीस करोड इक्हत्तर लाख चौरानवे हजार पाँच सौ छियासी) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष, 2024–25 में स्वीकृत योजना प्रस्ताव के आलोक में योजना की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी (रू0 7,42,98,646/–) तथा 25 प्रतिशत ऋण (ब्याज सहित/ब्याज रहित) (रू0 7,42,98,647/–) एवं 50 प्रतिशत अनुदान (रू0 14,85,97,293/–) अर्थात् कुल राशि **रू0 29,71,94,586/– (उन्नतीस करोड इक्हत्तर लाख चौरानवे हजार पाँच सौ छियासी)** मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत 25 प्रतिशत राशि –मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड– 09–4425001080166 एवं 75 (25% ऋण + 50% अनुदान) प्रतिशत राशि मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड–09–2425001080116 अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का दायित्व बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का होगा, जिसके अनुसार ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

8. योजना अन्तर्गत प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना का विकास हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना द्वारा तैयार मापदण्ड के अनुरूप किया जायेगा।

9. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.03.2025 को योजना प्रस्ताव पर दी गई अनुशंसा के आलोक में माननीय विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदनापरांत (संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–79/2021 (पार्ट फाईल) के पृ0 98/टि॰ दिनांक 19.03.2025), योजना प्रस्ताव पर माननीय वित्त मंत्री, वित्त विभाग, बिहार, का अनुमोदन (संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–79/2021 (पार्ट फाईल) के पृ0 106/टि॰ दिनांक 26.03.2025) प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–79/2021 (पार्ट फाईल) के पृष्ठ संख्या 108/टि0 पर दिनांक– 26.03.2025 को प्राप्त है।

11. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–79/2021 (पार्ट फाईल) के पृष्ठ संख्या 109/टि0 पर दिनांक– 26.03.2025 पर दी गयी है।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 597 /पटना, दिनांक 26/03/25
06/पणन(स0)–79/2021 (पार्ट फाईल)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

26.03.25

सरकार के अपर सचिव।

6